न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3479-दो/2010 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-07-2013- पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ -- प्रकरण 29/2011-12 अपील

1-- रामबगस 2- दयाराम
दोनों पुत्रगण भगोने यादव
3-- रबि पुत्र स्व0 कल्लू यादव
तीनों निवासी टीकमगढ़
तहसील व जिला टीकमगढ़ ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती ज्ञानवाई पुत्री स्व. भगोने
2-- श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व.भगोने
3-- श्रीमती मुन्नी पत्नि स्व.कल्लू यादव
निवासी गणेशगंज तहसील टीकमगढ़ ---अनावेदिकायें

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक 2 से 3 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदक क-1 सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7 - 1 - 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण 29/2011-12 अपील में पारित आदेश दि. 19-7-13 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश इस प्रकार है कि स्वर्गीय भगोने यादव के नाम मौजा टीकमगढ़ में 4.23 हैक्टर भूमि हिस्सा 1/2 पर थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 197 पर आदेश दिनांक 17-10-2008 से आवेदकगण का नामांत्रण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक--1 ने अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 23/11-12 दिनांक 19.10.11 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 19-7--2013 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक -1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नामान्तरण पंजी पर आदेश दिनांक 17-10-2008 से नामान्तरण करते समय अनावेदिकाओं को मृतक भूमिस्वामी भगोने की पुत्रियां होते हुये भी व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई और न ही नामान्तरण पंजी में सजरा खानदान भरते समय उन्हें पक्षकार बनाया गया। स्पष्ट है कि नामान्तरण की समस्त कार्यवाही एकपक्षीय हुई है।

> भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 - धारा-47 आदेश की कोई संसूचना नहीं दी गई - आदेश की जानकारी होने के दिनांक से परसीमा की गणना की जायेगी।

अतएव अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 19-7-13 से अनावेदिका क्रमांक 1 व्दारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन अनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है । परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण 29/2011-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दि. 19-7-13 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर